राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

दिनांक 03.07.2021 को अपराह्न 5.00 सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के साथ माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार द्वारा विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की कार्यवाही

कार्यवाही

पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की तैयारी के निमित्त माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। उन्होंने सर्वप्रथम विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित जिला पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्वपूर्ण निर्वाचन कराने हेतु जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी को ससमय सभी कार्य ससमय सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। तत्पश्चात कार्यसूची पर चर्चा प्रारम्भ हुई।

दिनांक 26.06.2021 को हुये सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के साथ विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग संबंधी कार्यवाही की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया।

1. चरणवार प्रखंडों का निर्धारण कर जिलों द्वारा प्रतिवेदन भेजा जाना –

   प्रतिवेदन लंबित जिले – पटना, भोजपुर, सीतामढ़ी एवं शेखपुरा

   निर्देश – दिनांक 05.07.2021 तक अवश्य प्रतिवेदन प्रेषित किया जाय।

2. ई.वी.एम. प्रबंधन योजना (**EVM Management Plan**) पर विमर्श एवं दिये गये निदेश;

दिनांक 26.06.2021 को जिलों से प्राप्त सुझाव के आलोक में ई.वी.एम. के संबंध में आयोग स्तर से पत्रांक 2421 दिनांक 29.06.2021 द्वारा संशोधित पत्र आयोग द्वारा प्रेषित किया गया है।

निर्देश – उक्त पत्र के आधार पर आयोग के पत्रांक 2393 दिनांक 25.06.2021 का अनुपालन करते हुए दिनांक 15.07.2021 तक सम्बद्ध राज्यों से ई.वी.एम. मंगाये जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

ई.वी.एम. कोषांग गठन संबंधी प्रतिविदेन

जिन जिलों से प्रतिवेदन अप्राप्त –

पटना प्रमंडल	–	पटना, कैमूर
दरभंगा प्रमंडल	–	समस्तीपुर
तिरहुत प्रमंडल	–	मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर
मगध प्रमंडल	–	गया
सारण प्रमंडल	–	गोपालगंज
पूर्णियाँ प्रमंडल	–	अररिया
भागलपुर प्रमंडल	–	बाँका
कोशी प्रमंडल	–	सहरसा, सुपौल, मधेपुरा
मुंगेर प्रमंडल	–	शेखपुरा, लखीसराय, जमुई

निर्देश – वांछित प्रतिवेदन दिनांक 05.07.2021 तक अवश्य भेज दें।

ई.वी.एम. कोषांग का पोर्टल पर प्रविष्टि –

प्रविष्टि करा दिये गये जिले –

मगध प्रमंडल	–	औरंगाबाद, जहानाबाद)
तिरहुत प्रमंडल	–	पश्चिमी चम्पारण
मुंगेर प्रमंडल	–	बेगुसराय
भागलपुर प्रमंडल	–	बाँका
तिरहुत प्रमंडल	–	मुजफ्फरपुर एवं सीतामढ़ी
पूर्णियाँ प्रमंडल	–	अररिया

प्रविष्टि नहीं कराये गये जिले –

पटना प्रमंडल	–	पटना, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, नालन्दा, कैमूर
मगध प्रमंडल	–	गया, नवादा, अरवल
सारण प्रमंडल	–	सारण, सिवान, गोपालगंज
तिरहुत प्रमंडल	–	वैशाली, पू. चम्पारण, शिवहर
भागलपुर प्रमंडल	–	भागलपुर
दरभंगा प्रमंडल	–	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर
कोशी प्रमंडल	–	सहरसा, मधेपुरा, सुपौल
पूर्णियाँ प्रमंडल	–	पूर्णियाँ, किशनगंज, कटिहार
मुंगेर प्रमंडल	–	मुंगेर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय एवं शेखपुरा

निर्देश – दिनांक 07.07.2021 तक प्रविष्टि अवश्य करा दी जाये।

ई.वी.एम. कॉम्यूनिकेशन प्लान की प्रविष्टि –

प्रविष्टि करा दिये गये जिले –

पटना प्रमंडल	–	रोहतास
मगध प्रमंडल	–	गया, औरंगाबाद, जहानाबाद,नवादा
सारण प्रमंडल	–	गोपालगंज
दरभंगा प्रमंडल	–	दरभंगा
पूर्णियाँ प्रमंडल	–	पूर्णियाँ, किशनगंज
तिरहुत प्रमंडल	–	पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी
भागलपुर प्रमंडल	–	बाँका
मुंगेर प्रमंडल	–	मुंगेर, बेगुसराय

प्रविष्टि नहीं कराये गये जिले –

पटना प्रमंडल	–	पटना, बक्सर, भोजपुर, नालन्दा, कैमूर
मगध प्रमंडल	–	अरवल
सारण प्रमंडल	–	सारण, सिवान
तिरहुत प्रमंडल	–	वैशाली, पू. चम्पारण, शिवहर
भागलपुर प्रमंडल	–	भागलपुर
दरभंगा प्रमंडल	–	मधुबनी, समस्तीपुर

कोशी प्रमंडल – सहरसा, मधेपुरा, सुपौल
पूर्णिया प्रमंडल – अररिया, कटिहार एवं
मुंगेर प्रमंडल – जमुई, खगड़िया, लखीसराय एवं शेखपुरा

निर्देश – दिनांक 07.07.2021 तक प्रविष्टि अवश्य करा दी जाये।

ई.वी.एम. विजिटींग प्लान की पोर्टल में प्रविष्टि –

प्रविष्टि कराये गये जिले –

पटना प्रमंडल – रोहतास
मगध प्रमंडल – औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा
तिरहुत प्रमंडल – पश्चिमी चम्पारण
दरभंगा प्रमंडल – दरभंगा
मुंगेर प्रमंडल – बेगुसराय

प्रविष्टि नहीं कराये गये जिले –

पटना प्रमंडल – पटना, बक्सर, भोजपुर, नालन्दा, कैमूर
मगध प्रमंडल – अरवल
सारण प्रमंडल – सारण, सिवान
तिरहुत प्रमंडल – मुजफ्फरपुर, वैशाली, पू. चम्पारण, शिवहर
भागलपुर प्रमंडल – भागलपुर, बाँका
दरभंगा प्रमंडल – मधुबनी, समस्तीपुर
कोशी प्रमंडल – सहरसा, मधेपुरा, सुपौल
पूर्णिया प्रमंडल – पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार
मुंगेर प्रमंडल – मुंगर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय एवं शेखपुरा

निर्देश – दिनांक 07.07.2021 तक प्रविष्टि अवश्य करा दी जाये।

सम्बद्ध राज्यों से ई.वी.एम. मंगाये जाने के संबंध में विमर्श के क्रम में जिलों के मामले –

जिला पदाधिकारी, सहरसा – पश्चिम बंगाल में ई.वी.एम. के सत्यापन कार्य किया जा रहा है, इसलिए दिनांक 15-16 जुलाई के बाद ई.वी.एम. उपलब्ध कराया जायेगा।

निर्देश – चूंकि अन्य राज्यों द्वारा जिलों को ई.वी.एम. उपलब्ध करायी जा रही हैं, इसलिए चुनाव की समीपता को ध्यान में रखते हुए संबंधित SEC/CEO से वार्ता कर अनुरोध करें। इस सन्दर्भ में आयोग द्वारा भी समन्वय स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

जिला पदाधिकारी, बक्सर – BEL से ई.वी.एम. लाने हेतु आवंटित किया गया है उनमें BEL द्वारा बताया जा रहा है कि केवल बी.यू. उपलब्ध कराया जायगा, सी.यू. नहीं, जबकि बक्सर को दोनों आवंटित है।

निर्देश – BEL से पुनः बार्ता करें। आयोग द्वारा BEL से भी समन्वय स्थापित कर संसूचित किया जायेगा।

जिला पदाधिकारी, खगड़िया – उन्हें पंजाब के विभिन्न जिलों से प्राप्त किया जाना है, जिससे जिलों से इक्ट्ठा करने में काफी समय लगेगा। यदि उनके द्वारा एक स्थान पर इकट्ठा करवा दिया जाता जिसका भुगतान जिला द्वारा कर दिया जाता। जिससे इ.वी.एम. लाना आसान एवं ससमय हो जाता।

जिला पदाधिकारी, अररिया – महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से ई.वी.एम. प्राप्त करने हेतु इसी तरह का सहयोग प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

निर्देश – जिला पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सम्बद्ध राज्यों से ई.वी.एम. प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो रही है तो जिला पदाधिकारी स्वयं उस राज्य से समन्वय स्थापित कर कठिनाई दूर करायें तथा इस संबंध में आयोग को भी अवगत करायें। संबंधित SEC/CEO से सम्पर्क स्थापित करें जिससे कि तत्संबंधी सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। इस हेतु आयोग द्वारा भी समन्वय स्थापित किया जायेगा।

आवंटन की आवश्यकता –

इ.वी.एम. लाये जाने हेतु आवंटन की माँग – जिला पदाधिकारी, मुंगेर, शिवहर, गोपालगंज आदि।

समीक्षा क्रम में पाया गया – (i) अनेकों जिलों द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में चुनाव हेतु प्राप्त आवंटन विगत मार्च. 2021 में निकालकर जिला के पी.डी. खाता में रखा गया है, परन्तु इस राशि की निकासी हेतु वित्त विभाग का अनुमति आवश्यक है।

पी.डी. खाता से अग्रिम हेतु अनुमति –

(i) जिला पदाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि अग्रिम निकासी वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही निकासी की जा सकती है।

(ii) कई अन्य जिलों द्वारा वित्तीय वर्ष का अन्त तथा तकनीकी कारणों से गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराये गये राशि की निकासी नहीं की जा सकी।

निर्देश – (i) जिन जिलों द्वारा पी.डी. खाता में जमा की गई है, वे अग्रिम निकासी के लिए वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करने हेतु पंचायत राज विभाग से पत्राचार करें तथा उसकी एक प्रति आयोग को दी जाये।

(ii) जिन जिलों द्वारा तकनीकी कारणों से विगत वित्तीय वर्ष में निर्वाचन हेतु कर्णांकित राशि की निकासी नहीं की जा सकी – वे पंचायती राज विभाग से आवंटन प्राप्त करने हेतु अनुरोध करे तथा उसकी एक प्रति आयोग को भी दी जाए।

(iii) उक्त दोनों मामलों को आयोग द्वारा समेकित करते हुए यथोचित कार्रवाई हेतु पंचायती राज विभाग से पत्राचार किया जाये।

ई.वी.एम. को लाये जाने के क्रम में अनुश्रवण हेतु मोबाईल \`एप\` –

अनुश्रवण हेतु मोबाईल \`एप\` उपलब्ध करा दिया गया है। जिसका प्रशिक्षण जिलों के तकनीकी कर्मियों को दे दिया गया है।

निर्देश – मोबाईल \`एप\` का उपयोग इ.वी.एम. को लाने वाले पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा। जिसका अनुश्रवण जिला स्तर से किया जाय।

ई.वी.एम. के भंडारण आदि की व्यवस्था

निर्देश – दिनांक 07.07.2021 तक पूर्व में दिये गये निर्देश के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराते हुये आयोग को अवगत करा दें।

ई.वी.एम. का एफ.एल.सी. के लिए स्थान, जिला स्तर से टीम एवं एफ.एल.सी. के पश्चात ई.वी.एम. रखने हेतु बज्रगृह आदि की व्यवस्था

निर्देश – दिनांक 07.07.2021 तक पूर्व में दिये गये निर्देश के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराते हुये आयोग को अवगत करा दें।

राज्य निर्वाचन आयोग के स्वामित्व वाले ई.वी.एम. की सूचना –

आयोग के पत्रांक 2355 दिनांक 24.06.2021 द्वारा आयोग के स्वामित्व वाले इ.वी.एम. के संबंध में सूचना की माँग की गयी जिसका उपयोग वर्तमान निर्वाचन में किया जायेगा।

प्रतिवेदित करने वाले जिले –

पटना प्रमंडल – भोजपुर, कैमूर,
तिरहुत प्रमंडल – पूर्वी चम्पारण, शिवहर
मगध प्रमंडल – नवादा, औरंगाबाद, अरवल,
पूर्णिया प्रमंडल – पूर्णियाँ, कटिहार, किशनगंज,
मुंगेर प्रमंडल – मुंगेर, लखीसराय,
भागलपुर प्रमंडल – बाँका।

प्रतिवेदित नहीं करने वाले जिले –

पटना प्रमंडल – पटना, बक्सर, रोहतास, नालन्दा,
मगध प्रमंडल – गया, जहानाबाद,
सारण प्रमंडल – सारण, सिवान, गोपालगंज,
तिरहुत प्रमंडल – मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी,
भागलपुर प्रमंडल – भागलपुर,
दरभंगा प्रमंडल – मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा,
कोशी प्रमंडल – सहरसा, मधेपुरा, सुपौल,
पूर्णिया प्रमंडल – अररिया,
मुंगेर प्रमंडल – जमुई, बेगुसराय, खगड़िया एवं शेखपुरा।

निर्देश – आयोग के स्वामित्व वाले इ.वी.एम. के संबंध में प्रतिवेदन दिनांक 7.10.2021 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय। इन इ.वी.एम. का भी एफ.एल.सी. कराया जायगा। इन ई.वी.एम. पर पहचान हेतु 'T' चिह्नित कराया जाय ताकि इन्हीं इ.वी.एम. से मात्र प्रशिक्षण की कार्रवाई की जा सके।

3. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित नवगठित/उत्क्रमित/सीमा विस्तारित नगरपालिका के फलस्वरूप पंचायत आम निर्वाचन, 2021 में उन पंचायत क्षेत्रों एवं उससे संबंधित मतदान केन्द्र तथा इससे संलग्न मतदाताओं को ग्रामीण क्षेत्रों से अलग किये जाने संबंधी कार्रवाई अन्तर्गत आयोग के वेवसाईट पर लॉगिन के माध्यम से अपलोड करना

वेबसाईट पर अपलोड – कतिपय जिलों को छोड़कर उपर्युक्त कार्य सम्पादित कर अपलोड कर दिया गया है। इस कार्य को सम्पन्न किये जाने वाले जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) की प्रशंसा की जाती है।

जिलों द्वारा माँगी गई मार्गदर्शन – अररिया, पश्चिम चम्पारण, शिवहर एवं समस्तीपुर अपलोड करने हेतु मार्गदर्शन की माँग की गई, जो निम्नवत हैं –

(1) ग्राम पंचायतों के नगर निकाय में आंशिक विलय एवं ग्राम पंचायत का मुख्यालय ग्राम के भी समाहित होने की स्थिति में पुनर्गठित ग्राम पंचायत के मुख्यालय ग्राम का निर्धारण एवं नामकरण के संबंध में।

(2) वैसे ग्राम पंचायत जो आंशिक रूप से नगर निकाय में सम्मिलित हुए तथा शेष भाग जो किसी अन्य पंचायत में सम्मिलित किये गये हैं उनके क्रमांक अंकित करने के संबंध में।

(3) वार्ड के आंशिक रूप से नगर निकाय में सम्मिलित होने के कारण वार्डों के पुनर्गठन एवं नामकरण के संबंध में।

(4) ग्राम पंचायतों के नगर निकाय में पूर्ण या आंशिक विलय के पश्चात जिला परिषद एवं पंचायत समिति के शेष बचे हुए भाग के साथ जिला परिषद एवं पंचायत समिति के अस्तित्व/पुनर्गठन के संबंध में।

उक्त के सन्दर्भ में आयोग के पत्रांक 2497 दिनांक 03.07.2021 द्वारा मार्गदर्शन प्रेषित कर दिया गया है, जो निम्नवत है –

(1) ग्राम पंचायतों के नगर निकाय में आंशिक विलय एवं ग्राम पंचायत का मुख्यालय ग्राम समाहित होने की स्थिति में पुनर्गठित ग्राम पंचायत के मुख्यालय ग्राम का निर्धारण एवं नामकरण पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 758 दिनांक 03.02.2021 में दिये गये निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

(2) वैसी स्थिति में जिसमें अवशिष्ट भाग किसी अन्य पंचायत में सम्मिलित हुए हैं उनका संख्यांकन उस ग्राम पंचायत के जिसमें उनका सम्मिलन हुआ है, के अन्तिम वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र का संख्यांकन के बाद किया जायेगा एवं कोष्टक में पूर्व की संख्या एवं पंचायत का नाम भी अंकित किया जायेगा तथा मतदान केन्द्रों की संख्या वही रहेगी।

(3) आंशिक रूप से बचे हुए वार्ड यथास्थिति अस्तित्व में बनें रहेंगे एवं उनका संख्यांकन पूर्ववत रहेगा।

(4) ग्राम पंचायतों के नगर निकाय में पूर्ण या आंशिक विलय के पश्चात शेष बचे हुए भाग के साथ जिला परिषद क्षेत्र एवं पंचायत समिति क्षेत्र यथास्थिति अस्तित्व में बनी रहेगी।

निर्देश – आयोग के पत्रांक 2497 दिनांक 03.07.21 मार्गदर्शन प्रेषित। उक्त प्रदत्त मार्गदर्शन के आलोक में संबंधित जिले अधिकतम तीन दिनों में कार्य सम्पन्न कर उसे अपलोड करा दिया जाय।

4. आयोग के वेबसाईट पर पंचायत के विभिन्न पदों का आरक्षण स्थिति अपलोड में हुए त्रुटि का निराकरण अधिकतम एक सप्ताह कराया जाना –

पंचायत आम निर्वाचन में पारदर्शिता रखने के उद्देश्य से पंचायत क्षेत्रों के आरक्षण की स्थिति को अपलोड कराये गये हैं। आमजनों में पंचायत क्षेत्रों के आरक्षण को लेकर काफी भ्रांतियाँ हैं। इस सन्दर्भ में अक्सर शिकायत प्राप्त होते रहते हैं। सर्वविदित है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 पंचायत क्षेत्रों के आरक्षण दो क्रमिक निर्वाचन में लागू रहेंगे। डिजीटाईज कराने का लाभ पारदर्शिता के साथ-साथ नामांकन से लेकर मतगणना परिणाम तक में होगा।

त्रुटि रहित ससमय अपलोड कराने वाले जिले – सारण, जहानाबाद, अरवल, किशनगंज, जमुई। इनका कार्य अत्यन्त प्रशंसनीय है।

अपलोड में त्रुटि का निराकरण कराने वाले जिले – शेष सभी संबंधित जिलों को पत्र के माध्यम से त्रुटि का निराकरण करने का निदेश दिये गये हैं जिनमें औरंगाबाद एवं सुपौल द्वारा त्रुटियों का निराकरण करने की सूचना है।

अत्यधिक त्रुटिपूर्ण अपलोड करने वाले जिले – गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, मधुबनी तथा मुजफ्फरपुर

निर्देश – पंचायत क्षेत्रों का सभी श्रेणियों के लिए आरक्षण एक संवेदनशील विषय है, इसलिए अत्यधिक त्रुटि वाले ज़िले को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए अनुपालन करने का निदेश दिया गया। कतिपत क्षेत्रों के विषय में ऐसी शिकायत मिली है कि प्रा.नि.क्षे. किसी और के लिए आरक्षित थे परन्तु निर्वाचन किन्हीं अन्य आरक्षण पर कराया गया है। यह जाँच का विषय है। जाँचोपरान्त जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए आयोग को प्रतिवेदित किया जाय।

5. मतपेटिकाओं की भंडारण की स्थिति तथा दिनांक 25.07.2021 तक मतपेटिकाओं की तैयारी कर लिया जाना एवं आवश्यकता का आकलन –

(i) मतपेटिकाओं की संख्या संबंधी प्रतिवेदन –

प्रतिवेदित करने वाले जिले –

पटना प्रमंडल	–	बक्सर, रोहतास, भोजपुर, नालन्दा
मगध प्रमंडल	–	नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल
सारण प्रमंडल	–	सिवान
तिरहुत प्रमंडल	–	मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी
दरभंगा प्रमंडल	–	मधुबनी, समस्तीपुर
कोशी प्रमंडल	–	मधेपुरा, सुपौल
पूर्णिया प्रमंडल	–	किशनगंज, कटिहार
मुंगेर प्रमंडल	–	मुंगेर, जमुई, बेगुसराय, खगड़िया।

उक्त सभी जिले प्रशंसा के पात्र हैं।

प्रतिवेदित नहीं करने वाले जिले –

पटना प्रमंडल	–	पटना, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, नालन्दा, कैमूर
सारण प्रमंडल	–	सारण
तिरहुत प्रमंडल	–	पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर
दरभंगा प्रमंडल	–	समस्तीपुर
कोशी प्रमंडल	–	सुपौल
पूर्णिया प्रमंडल	–	अररिया
मंगेर प्रमंडल	–	शेखपुरा

निर्देश - दिनांक 05.07.2021 तक अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

(ii) मतपेटिकाओं की मरम्मति, ग्रिसिग, रंगाई आदि के संबंध में –

निर्देश – आयोग के पत्रांक 2462 दिनांक 01.07.2021 द्वारा मतपेटिकाओं की मरम्मति, ग्रिसिग, रंगाई आदि के संबंध में निदेश दिये गये हैं। उक्त सन्दर्भ में कार्रवाई करते हुये दिनांक 25.07.2021 तक मतपेटिकाओं को निश्चित रूप से तैयार कर ली जाय।

(iii) मतपेटिकाओं की आवश्यकता का आकलन –

विदित है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु ग्राम कचहरी के पंच एवं सरपंच के पत्र पर मपत्रों द्वारा मतदान कराये जाने का प्रस्ताव है, जिसमें मतपेटिकाओं की आवश्यकता का आकलन कर ली जाए। प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर दो मतपेटिका दिया जाना है। सभी प्रखंडों में आवश्यकता के अनुरूप मतपेटिका है तो यह एक आदर्श स्थिति है, किन्तु यदि कम है तो इ.वी.एम. की भाँति मतदान के चरण में लगाया जा सकता है।

6. मतदान में लगाये जाने वाले मतदान कर्मी तथा सुरक्षा बल का आकलन –

विगत वैठक की कार्यवाही में मतदान में लगाये जाने हेतु कार्मिक बल एवं सुरक्षा बल के संबंध में विस्तृत निदेश दिये गये हैं।

जिला पदाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि कार्मिक बल तथा सुरक्षा बलों का आकलन किया जा रहा है।

निर्देश – आयोग द्वारा अवगत कराया गया कि Election Personnel Management Information Syestem-**EPMIS** में एन.आई.सी. द्वारा आवश्यक संशोधन कराने की व्यवस्था की गई है। जून माह में बहुत संख्या में पदाधिकारियों/ कर्मियों का स्थानान्तण हुआ है इसलिए कार्मिकों के डाटा को पुनः शुद्ध/ अद्यतन करा लिया जाये।

(क) पंचायत आम निर्वाचन, 2021 में मतदान M2 EVM से कराये जाने के फलस्वरूप प्रत्येक मतदान केन्द्र पर कम से कम चार - बी.यू., चार - सी.यू. तथा दो मतपेटिका का उपयोग होगा, जिसमें कार्मिकों की अधिक संख्या की आवश्कता होगी, जिससे निम्न प्रकार से कार्मिकों की व्यवस्था की जायेगी :-

(i) मतदान हेतु कार्मिकों की आवश्यकता के अनुरूप प्रत्येक कर्मी विभिन्न चरणों में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।

(ii)मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी तथा मतदान पदाधिकारी 1 से 5 तक रहेंगे यानि पूर्व से दो अधिक।

(iii) प्रत्येक दो मतदान केन्द्र पर एक पी.सी.सी.पी. का गठन होगा।

(iv) इसके अतिरिक्त प्रत्येक पंचायत स्तर पर मतदान के दिन खराब ई.वी.एम. के Replacement के लिए एक सेक्टर मैजिस्ट्रट के साथ एक कर्मी की भी प्रतिनियुक्ति की जायेगी जो मतदान पदाधिकारी-2 स्तर के कर्मी होंगे। इस सन्दर्भ में कार्मिकों की आवश्यकता का आकलन कर ली जाय।

(ख) कार्मिकों का दो-तीन सेट बनाया जाय, जिससे कि किसी कर्मी को बार-बार मतदान कार्य में सम्मिलित न होना पड़े। यथासंभव अधिकतम तीन चरण में उनका उपयोग किया जा सके।

(ग) उल्लेखनीय है कि पंचायती राज व्यवस्था में पचास प्रतिशत महिलाओं के लिए पद आरक्षित हैं। कार्मिक अधिक लगने के कारण महिला कर्मियों को भी निर्वाचन कार्य में लगाया जाय। यथासंभव उन्हें ऐसे चिह्नित स्थानों पर लगाया जाये जहाँ आवागमन, संचार आदि की सुविधा हो। यथा- जिला मुख्यालय के प्रखंड एवं उसके आसपास के स्थानों में लगाया जाय।

7. मतदान सामग्रियों का आकलन एवं व्यवस्था संबंधी कार्रवाई –

निर्देश – आयोग द्वारा निदेश दिया गया कि चार पद का ई.वी.एम. से तथा दो पद का मतपत्र से निर्वाचन कराया जा रहा है, इसलिए तदनुसार मतदान सामग्रियों की व्यवस्था ससमय करना सुनिश्चित की जाय।

8. कॉम्यूनिकेशन प्लान में प्रविष्टि –

जून, 2021 में पदाधिकारियों/ कर्मियों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप नाम एवं मोबाईल संख्या परिवर्त्तित हुए हैं, जिसे कॉम्यूनिकेशन प्लान संबंधी एपलिकेशन में अविलम्ब अपडेट कराना

निर्देश – दिनांक 25.07.2021 तक अपडेट कर लिया जाय।

आयोग के पत्रांक 1563 दिनांक 16.03.2021 द्वारा कॉम्युनिकेशन शैडो जोन संबंधी प्रतिवेदन का प्रेषण –

प्रतिवेदित नहीं करने वाले जिले – पटना प्रमंडल (पटना), मगध प्रमंडल (औरंगाबाद), भागलपुर प्रमंडल (भागलपुर) एवं मुंगेर प्रमंडल (खगड़िया एवं शेखपुरा)

निर्देश – दिनांक 15.07.2021 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

सधन्यवाद विडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाप्त किया गया।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक –पं.नि.30-119/2021 – 2522 पटना, दिनांक - 6.7.21

प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक –पं.नि.30-19/2021 – 2522 पटना, दिनांक - 6.7.21

प्रतिलिपि सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी पुलिस महानिरीक्षक/ सभी पुलिस उप महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक –पं.नि.30-19/2021 – 2522 पटना, दिनांक - 6.7.21

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक –पं.नि.30-19/2021 – 2522 पटना, दिनांक - 6.7.21

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार/ पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक –पं.नि.30-19/2021 – 2522 पटना, दिनांक - 6.7.21

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव, 6.7.21
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।